International Journal of Social Science Research (IJSSR)
Volume- 2, Issue- 1 | January - February 2025 ISSN: 3048-9490

आतंकवाद और मानवाधिकार: राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन

डॉ संगीता कुमारी
अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, के. एम. डी. कॉलेज, परबत्ता
(मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर)

सारांश

यह शोध पत्र "आतंकवाद और मानवाधिकार: राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन" विषय पर केंद्रित है। इसमें आतंकवाद की वैश्विक और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया गया है और यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार आतंकवाद विरोधी नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती हैं, लेकिन साथ ही नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं। आतंकवाद एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जो न केवल किसी विशेष देश, बल्कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। भारत में आतंकवाद के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीमापार आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद), उत्तर-पूर्वी उग्रवाद और घरेलू आतंकवाद। इनसे निपटने के लिए सरकार ने UAPA, NSA, AFSPA जैसे कठोर कानून बनाए हैं और NIA, RAW, NSG जैसी सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त किया है। हालाँकि, इन कठोर नीतियों के कारण कई बार नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का हनन होता है। हिरासत में यातना, बिना मुकदमे के लंबी कैद, गैर-न्यायिक हत्याएँ (फर्जी मुठभेड़), और व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन जैसी घटनाएँ आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ हैं। इसके अलावा, कई बार अल्पसंख्यकों और निर्दोष नागरिकों को संदेह के आधार पर निशाना बनाए जाने की घटनाएँ भी सामने आई हैं, जिससे समाज में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ती है।

मुख्य शब्द: आतंकवाद, मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक निगरानी, सामाजिक जवाबदेही।

प्रस्तावना

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जिसने 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। यह न केवल किसी विशेष देश या क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जाता है। आतंकवाद केवल हिंसा या विध्वंस तक सीमित नहीं है; यह समाज के भीतर भय का वातावरण पैदा करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है। इसके कारण सरकारें कठोर कानूनों और सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए मजबूर होती हैं, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समय में, यह बहस निरंतर बनी हुई है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने से लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, और इसके लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है। किंतु जब आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए जाते हैं, तो कई बार निर्दोष नागरिकों को भी संदेह के घेरे में लाया जाता है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में कई बार गिरफ्तारी, हिरासत में यातना, संचार माध्यमों पर प्रतिबंध, और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी कानून, जैसे कि अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और पूर्व में लागू पोटा

(POTA), अक्सर मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज द्वारा आलोचना का विषय बनते रहे हैं। सरकारें तर्क देती हैं कि ऐसे कानूनों के बिना आतंकवाद का उन्मूलन संभव नहीं है, लेकिन दूसरी ओर, नागरिक अधिकार संगठनों का मत है कि इन कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है।

आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद का सामना करते समय सरकारें नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करें। किसी भी देश की स्थिरता केवल कठोर सुरक्षा उपायों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का कितना सम्मान करता है। यह शोध आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की रणनीतियों, कानूनी पहलुओं और मानवाधिकारों की रक्षा के संभावित तरीकों की खोज करेगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है।

आतंकवाद: एक वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

आतंकवाद एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य समाज में भय और अस्थिरता उत्पन्न करना होता है। आतंकवाद के माध्यम से कुछ समूह अपने राजनीतिक, धार्मिक, या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है; बल्कि, यह एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है, जिससे लगभग सभी राष्ट्र प्रभावित हुए हैं। आतंकवाद की परिभाषा अलग-अलग देशों और संगठनों द्वारा भिन्न रूप में दी गई है, किंतु सामान्य रूप से इसे ऐसी हिंसक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार, समाज या निर्दोष नागरिकों में आतंक और भय पैदा करना होता है।

(क) वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हुआ है। 20वीं शताब्दी में इसे मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन 21वीं सदी में धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रीय संघर्ष, और आर्थिक असमानता जैसे कारक भी आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे हैं। 9/11 के हमले के बाद आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा नीति का एक मुख्य विषय बन गया। अमेरिका में हुए इन हमलों ने दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अवगत कराया और इसके बाद कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीतियाँ अपनाईं। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ग्लोबल वॉर ऑन टेरर (Global War on Terror) की शुरुआत की, जिसके तहत अफगानिस्तान और इराक में सैन्य हस्तक्षेप किया गया। आतंकवाद के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई पहल की हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। इसके अलावा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसी संस्थाएँ आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए काम कर रही हैं।

(ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: भारत में आतंकवाद

भारत एक ऐसा देश है, जिसने विभिन्न प्रकार के आतंकवाद का सामना किया है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप बहुआयामी है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धार्मिक, राजनीतिक, और क्षेत्रीय संघर्ष। भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद मुख्य रूप से तीन प्रमुख रूपों में देखा जाता है:

1. सीमापार आतंकवाद: भारत लंबे समय से सीमापार आतंकवाद का शिकार रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन, जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजबुल मुजाहिद्दीन (HM) आदि, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला ऐसे ही आतंकवादी हमलों के उदाहरण हैं, जिनमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती दी गई।

2. वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद): भारत के कुछ राज्यों, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) एक बड़ी समस्या है। नक्सलवादी संगठन माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राज्य की व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अभियानों को अंजाम दिया, लेकिन यह संघर्ष अभी भी जारी है।

3. उत्तर-पूर्वी उग्रवाद: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में विभिन्न उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। ये संगठन अलगाववादी मांगों, स्वायत्तता, या संसाधनों के नियंत्रण को लेकर हिंसा करते हैं। सरकार ने समय-समय पर शांति वार्ताओं और सैन्य अभियानों के माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है।

(ग) आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियाँ और प्रभाव

आतंकवाद का प्रभाव केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होता है। आतंकवादी हमलों से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विदेशी निवेश प्रभावित होता है, और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, आतंकवाद का उपयोग समाज में अस्थिरता और विभाजन पैदा करने के लिए किया जाता है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA - अब निरस्त) आदि। हालाँकि, इन कानूनों की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, क्योंकि कई बार इनका दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियाँ

राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की स्थिरता, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए, सभी देश अपनी सुरक्षा नीतियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ विभिन्न प्रकार के आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कठोर कानून बनाए गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त किया गया है, और तकनीकी एवं खुफिया तंत्र को उन्नत किया गया है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई बार नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी शिकायतें सामने आती हैं, जिससे यह बहस लगातार बनी रहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।

भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं, जिनमें अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), और पहले लागू आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA) एवं पोटा (POTA) शामिल हैं। UAPA को विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आतंकवादियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। यह कानून सरकार को किसी संगठन

को आतंकवादी घोषित करने और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। हालाँकि, इस कानून के दुरुपयोग को लेकर कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है, क्योंकि इसके तहत बिना मुकदमे के भी लंबी अवधि तक हिरासत में रखने की अनुमति है। इसी प्रकार, NSA सरकार को किसी भी व्यक्ति को "राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा" बताकर गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है, भले ही उसके खिलाफ कोई स्पष्ट अपराध दर्ज न हो। इन कानूनों की कठोरता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से समाप्त किया जा सके, लेकिन दूसरी ओर, इनका दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं।

भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों को लागू करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियाँ और बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रॉ (RAW - Research and Analysis Wing), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), और राज्य पुलिस बल शामिल हैं। NIA का गठन विशेष रूप से आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच के लिए किया गया था, जबकि RAW विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने और आतंकवाद से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों की निगरानी के लिए कार्यरत है। NSG, जिसे "ब्लैक कैट कमांडो" के नाम से जाना जाता है, आतंकवादी हमलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई बल के रूप में कार्य करता है। इन सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय और कुशलता आतंकवाद विरोधी अभियानों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा नीतियों के तहत भारत ने विभिन्न अभियानों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984), ऑपरेशन पवन (श्रीलंका में एलटीटीई के खिलाफ), ऑपरेशन ऑल आउट (कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया अभियान) आदि प्रमुख हैं। इन अभियानों का उद्देश्य आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना था, लेकिन कई बार इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी सामने आए। उदाहरण के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या और इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने भारत में गहरे सामाजिक विभाजन को जन्म दिया। इसी प्रकार, ऑपरेशन ऑल आउट ने कश्मीर में आतंकवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया, लेकिन साथ ही, कई नागरिक अधिकार संगठनों ने इसे कठोर दमनात्मक नीति के रूप में देखा।

हालाँकि, राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के प्रभावशीलता को लेकर कई विवाद भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कठोर कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों को भी आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किया जा सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रहते हैं और बाद में निर्दोष साबित होते हैं। इस प्रकार, आतंकवाद विरोधी नीतियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे।

मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

आतंकवाद विरोधी उपायों और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का प्रभाव केवल आतंकवादी समूहों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव समाज के आम नागरिकों और उनके मौलिक अधिकारों पर भी पड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आतंकवाद विरोधी कठोर कानूनों और सुरक्षा उपायों के कारण कई बार इन्हें सीमित कर दिया जाता है। सरकारें आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए निगरानी, गिरफ्तारी, कड़े कानून, और मीडिया पर नियंत्रण जैसी रणनीतियों को अपनाती हैं, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। यह संतुलन सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपायों के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है।

भारत में अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) और पहले लागू पोटा (POTA) एवं टाडा (TADA) जैसे कानून आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनकी कठोरता और पारदर्शिता की कमी के कारण मानवाधिकार संगठनों द्वारा इनकी आलोचना की जाती रही है। UAPA, जो वर्तमान में भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है, किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उसे बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इससे कई निर्दोष नागरिकों को आतंकवादी मामलों में फँसाने और उनकी स्वतंत्रता छीनने की घटनाएँ सामने आई हैं। इसी प्रकार, NSA किसी भी व्यक्ति को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" बताकर बिना किसी मुकदमे के 12 महीनों तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे कानून न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का हनन कर सकते हैं।

आतंकवाद विरोधी नीतियों के कारण कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। निगरानी और डेटा गोपनीयता (Surveillance and Data Privacy) भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। सरकारें और सुरक्षा एजेंसियाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर नागरिकों की निगरानी बढ़ाती हैं, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, और ईमेल की जाँच की जाती है। हालांकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन जब इसे बिना उचित निगरानी और पारदर्शिता के लागू किया जाता है, तो यह निजता के अधिकार (Right to Privacy) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने "पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017)" के ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, लेकिन कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों के कारण इस अधिकार का अक्सर उल्लंघन देखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, आतंकवाद विरोधी नीतियाँ कई बार अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। कई रिपोर्टों में यह पाया गया है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में अक्सर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। आतंकवादी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किए गए कई निर्दोष व्यक्तियों को वर्षों तक हिरासत में रखा जाता है और बाद में वे निर्दोष साबित होते हैं। इससे समाज में असंतोष और अविश्वास की भावना पैदा होती है, जो अंततः राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है।

आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कई बार हिरासत में यातना (Custodial Torture), गैर-न्यायिक हत्याएँ (Extra-Judicial Killings) और फ़र्ज़ी मुठभेड़ों (Fake Encounters) जैसी घटनाएँ भी सामने आती हैं। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ आतंकवादियों से निपटने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा अनुचित बल प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, इशरत जहाँ एनकाउंटर केस (2004) और बटला हाउस एनकाउंटर (2008) जैसे मामले देशभर में विवादित रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए।

मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आतंकवाद विरोधी नीतियों के प्रभाव से अछूती नहीं रहती। जब भी किसी क्षेत्र में आतंकवादी हमले होते हैं, तो सरकारें कई बार इंटरनेट सेवाएँ बंद कर देती हैं या पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा देती हैं, जिससे स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यू जैसे उपाय आम हो गए हैं, जो आम नागरिकों के संचार और सूचना के अधिकार को प्रभावित करते हैं।

हालाँकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन नीतियों का दुरुपयोग किया जाए। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा कानून पारदर्शी हों और मानवाधिकारों के अनुरूप हों। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त निर्णय दिए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

संतुलन की आवश्यकता: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता

राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक ओर, सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है, जिससे आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य आंतरिक एवं बाहरी खतरों से देश को बचाया जा सके। दूसरी ओर, नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कठोर आतंकवाद विरोधी कानून बनाए जाएँ, तो नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। वहीं, यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी छूट दी जाए, तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जहाँ दोनों पहलुओं का उचित ध्यान रखा जाए।

आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, कई देशों ने कठोर कानून बनाए हैं। भारत में UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), NSA (National Security Act), और AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) जैसे कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू किए गए हैं। ये कानून आतंकवादियों को पकड़ने, उनके संगठनों को प्रतिबंधित करने, और देश की अखंडता की रक्षा करने में सहायक हैं। हालाँकि, कई बार इनका दुरुपयोग निर्दोष नागरिकों के खिलाफ भी होता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, बिना मुकदमे के लम्बी हिरासत, पुलिस द्वारा जबरन स्वीकारोक्ति, और फर्जी मुठभेड़ जैसी घटनाएँ नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं।

नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से समाज में असंतोष और अविश्वास पैदा हो सकता है। यदि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो यह सरकार और कानून-व्यवस्था के प्रति नकारात्मक धारणा विकसित करता है। ऐसे में, आतंकवाद की समस्या हल होने के बजाय और अधिक जटिल हो सकती है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए शक्तियाँ दी जानी चाहिए, लेकिन उन पर न्यायिक और संवैधानिक निगरानी भी आवश्यक है, ताकि इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, आतंकवाद विरोधी कानूनों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों की स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को अन्याय का शिकार न बनना पड़े। दूसरे, मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी को आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरे, प्रौद्योगिकी और खुफिया तंत्र को मजबूत करके आतंकवाद को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए, बजाय इसके कि निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाएँ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संघर्ष केवल कानूनी या सैन्य समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मुद्दा भी है। आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त कानून और प्रभावी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, लेकिन इनकी आड़ में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद विरोधी नीतियों और कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया में कई बार निर्दोष नागरिकों को भी संदेह के घेरे में लाया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुँचता है। अतः, आतंकवाद से निपटने की रणनीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखें।

भारत में UAPA, NSA, AFSPA और अन्य सुरक्षा कानूनों के कारण कई आतंकवादी हमलों को रोका गया है और सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही, नागरिक अधिकार संगठनों और न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन कानूनों का दुरुपयोग न हो। निगरानी, हिरासत में यातना, फ़र्ज़ी मुठभेड़ और बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद जैसे मुद्दे कानूनों की वैधता पर सवाल खड़े करते हैं। यदि आतंकवाद विरोधी नीतियाँ नागरिकों में डर और असंतोष उत्पन्न करती हैं, तो यह स्वयं आतंकवाद को बढ़ावा देने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, सुरक्षा नीतियों में संतुलन लाने की जरूरत है।

सुझाव:

1. संविधान और मानवाधिकारों का सम्मान: आतंकवाद विरोधी कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को आतंकवाद विरोधी मामलों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

2. सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही: सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि निर्दोष नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। किसी भी सुरक्षा अभियान के दौरान मानवाधिकार संगठनों को निगरानी का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि कानूनों का दुरुपयोग न हो।

3. निगरानी और निजता का संतुलन: सरकार को आतंकवादियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आधुनिक तकनीकों (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस) का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों की निजता की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निगरानी कानूनों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और अदालतों द्वारा उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।

4. समाज और समुदाय की भागीदारी: आतंकवाद को समाप्त करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ानी होगी। सरकार को धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर कट्टरता के खिलाफ कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि युवाओं को आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में जाने से रोका जा सके।

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए भारत को अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों (UN, FATF, INTERPOL) के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र "आतंकवाद और मानवाधिकार: राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन" विषय पर केंद्रित है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि आतंकवाद विरोधी नीतियाँ किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, लेकिन साथ ही नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव डालती हैं। आतंकवाद एक वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि इन उपायों को उचित रूप से लागू नहीं किया जाता, तो वे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन सकते हैं।

भारत में UAPA, NSA, AFSPA जैसे आतंकवाद विरोधी कानून और NIA, RAW, NSG जैसी सुरक्षा एजेंसियाँ इस खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन नीतियों की बदौलत कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका गया है, लेकिन कई बार इन कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों के कारण निगरानी, हिरासत में यातना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और गैर-न्यायिक हत्याएँ (फर्जी मुठभेड़) जैसी घटनाएँ सामने आई हैं। इससे समाज में भय और असंतोष बढ़ सकता है, जो दीर्घकालिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकता है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जाए। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी, मानवाधिकारों की सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा। आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुधार, और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान और न्यायपालिका की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

संदर्भ (References)

- कुमार, संजय. (2019). मानव अधिकार एवं आतंकवाद. लखनऊ: लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट.
- हरित, सरोज. (2018). आतंकवाद का मानव समाज पर प्रभाव. सामाजिक अनुसंधान फाउंडेशन.
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग. (2005). मानवाधिकार. नई दिशाएँ पत्रिका
- वंदना. (2003). आतंकवाद: एक आलोचनात्मक विश्लेषण भारत के संदर्भ में. शोधगंगोत्री.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. (2016-2017). चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. (2023). आज की दुनिया में आतंकवाद का मुकाबला.
- गुप्ता, बी. (2021). वैश्विक आतंकवाद एवं विश्व-शांति. जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस.
- General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Cole, David. (2003). Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism. The New Press.
- Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Waldron, Jeremy. (2003). Security and Liberty: The Image of Balance. Journal of Political